लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1707
दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेरम्बलूर, तमिलनाडु में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

1707. श्री अरुण नेहरूः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत मानचित्रित और पंजीकृत किए गए हथकरघा बुनकर समूहों की ब्लॉकवार संख्या कितनी है,
(ख) एचएमएफ, क्लस्टर विकास योजना और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत वित्तपोषित क्लस्टर विकास योजनाओं, जिसमें जारी की गई वित्तीय सहायता, शामिल लाभार्थियों की संख्या, आधुनिक बनाए गए करघे और निर्मित किए गए उत्पादन शेड शामिल हैं, का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पेरम्बलूर हथकरघा उत्पादों जैसे हथकरघा वस्त्रों और पारंपरिक डिजाइन के लिए लंबित जीआई टैग आवेदनों, जिसमें प्रसंस्करण का चरण और अधिसूचना के लिए अपेक्षित समय-सीमा शामिल है, की ब्लॉक-वार स्थिति क्या है, और
(घ) वर्ष 2023-26 के दौरान पेरम्बलूर हथकरघा कलस्टरों के लिए ब्लॉक-वार आयोजित कौशल उन्नयन कार्यक्रम, बुनकरों को स्वीकृत टीयूएफएस ऋण, आयोजित किए गए बाजार संवर्धन कार्यकलाप और स्थापित किए गए निर्यात संबंधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत, तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में उन्नत करघे और सहायक उपकरण, वर्कशेड के निर्माण, सोलर लाइटिंग यूनिट, उत्पाद और डिज़ाइन विकास जैसे विभिन्न इंटरवेंशन्स के माध्यम से आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु राज्य में हथकरघा बुनकरों/कामगारों की आवश्यकता के आधार पर, गत तीन वर्षों के दौरान, 6845 लाभार्थियों को कवर करते हुए 28 सीडीपी को 1329.05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यद्यपि, वस्त्र मंत्रालय को एनएचडीपी के तहत पेरम्बलूर जिले के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ग): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए) के तहत, सम्पूर्ण भारत के हथकरघा उत्पादों के लिए वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) (पंजीकरण और सुरक्षा) अधिनियम 1999 के प्रावधान को प्रोत्साहित करते हुए डिज़ाइन/उत्पादों को पंजीकृत करने, कार्यान्वयन एजेंसी के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और जीआई पंजीकरण को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने तथा सेमिनार, वर्कशॉप आदि आयोजित करने में होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पेरम्बलूर जिले के हथकरघा उत्पादकों ने जीआई टैग के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है। हालांकि, पूरे भारत के 106 हथकरघा उत्पादों में से तमिलनाडु राज्य के कुल 10 हथकरघा उत्पादों को जीआई एक्ट, 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय, समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत संपूर्ण भारत आधार पर संगठित क्षेत्रों में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए, वस्त्र और उससे जुडें संगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्लेसमेंट-उन्मुख मांग आधारित कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराता हैं। वर्ष 2023-26 के दौरान तमिलनाडु राज्य के पेरम्बलूर जिलें में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया हैं।

बताया जाता है कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) केवल 31.03.2022 तक मान्य थी और वर्तमान में केवल पूर्व प्रतिबद्ध दायित्वों को ही पूरा किया जा रहा है। इसलिए, 2022 के बाद अर्थात् 2023-26 के दौरान किसी नए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए विभिन्न क्राफ्ट मेलों एवं दिल्ली हाट कार्यक्रमों में भागीदारी सहित मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में एक्सपों आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही, हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हथकरघा क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने हेतु एक ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.indiahandmade.com) पहले ही शुरू किया जा चुका है।

हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के हथकरघा क्लस्टरों सहित पूरे भारत के हथकरघा निर्यातकों/बुनकरों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग कार्यक्रमों/मेलों जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बार्यस सेलर मीट, रिवर्स बार्यस सेलर मीट, बिग टिकट इवेंट्स, भारत टेक्स के आयोजनो में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

***